न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./05/2019/बाड़मेर

अपीलांट

1. किशनाराम पुत्र सुखराम उम्र 35 वर्ष जाति निश्नोई निवासी रोहिला तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1. चूनीदेवी पत्नी जेठाराम उम्र 50 वर्ष
2.गोमदाराम पुत्र भारमलराम उम्र 60 वर्ष
3.भीखाराम पुत्र भारमलराम उम्र 55 वर्ष
4.किशनाराम पुत्र भारमलराम उम्र 52 वर्ष
5.किशनाराम पुत्र भींयाराम उम्र 52 वर्ष
6.मूलाराम पुत्र हरचन्दराम उम्र 75 वर्ष
7.हेमाराम पुत्र फुहाराम उम्र 60 वर्ष
8.मंगलाराम पुत्र फुहाराम उम्र 57 वर्ष
9.हरूराम पुत्र फुहाराम उम्र 55 वर्ष
जाति विश्नोई निवासी रोहिला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
10.शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे वर्तमान एस बी आई शाखा धोरीमन्ना
11.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना के राजस्व आवेदन संख्या 15/2018 बअनवान चूनीदेवी बनाम गोमदाराम वगै. में निर्णय दिनांक 17.01.2019 ।

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री गंगाराम विश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 01, 02 व 04की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि उतरदाता की खोतदारी भूमि खसरा संख्या 440/02 रकबा 18.00 बीघा ग्राम रोहिला पटवार क्षेत्र लुखू तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 419, 423, 431, 424 रेस्पोडेंट/प्रार्थीनी के खेत एवं सड़क मे मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीनी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ–साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अपीलांट को उक्त प्रकरण से संबंधित नोटिस जारी किये गये जिस पर तामिल कुन्निदा अपीलांट का नोटिस लेकर कभी उसके घर नही आया तथा न ही उसे इस नोटिस के बारे में कोई सूचना नही दी गई। डाक के माध्यम से नोटिस भेजना बताया तथा उक्त नोटिस के उपर पाने वाले ने लेने से इन्कार करने की इबारत अंकित करते हुए वापिस भेजना बताया है जबकि अपीलांट पेशे से ड्राईवर होने के कारण ज्यादातर समय बाहर रहता है इस कारण अपीलांट ने नोटिस लेने से कभी इन्कार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार धोरीमन्ना ने मौका रिपोर्ट भी एकपक्षीय अपीलांट को जानकारी दिये बिना ही तैयार की गई जिस पर अपीलांट को जानकारी दिये बिना ही तैयार की गई जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर या अगुष्ठ निशान नहीं है तथा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि मौका रिपोर्ट भी एकपक्षीय अपीलांट को जानकारी दिये बिना ही तैयार की जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर या अगुष्ठ निशान नहीं है तथा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 तक के नोटिस बिना पेश किये एवं बिना आउटवर्ड हुए एवं बिना पूर्ण तामिल किये हुए गलत तरीके से रजिस्ट्रीयां पोस्ट ऑफिस इन्चार्ज एवं प्रार्थीनी चूनी देवी ने मिलकर लेने से मना करने का लिखकर पेश किया है जिसका अपीलांट को ज्ञान नहीं था और न ही रेस्पोडेंट संख्या 06 से 09 को कोई ज्ञान था। इस प्रकार बिना पूर्ण तलबी के आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। मौका रिपोर्ट में रास्ता दर्शाया गया है वहां पर अपीलांट की रहवासी ढाणी एवं अपीलांट के खेत में डीपी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विरूद्ध निर्णय पारित करने से काबिल निरस्त है।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 440/2 रकबा 18.00 बीघा ग्राम रोहिला पटवार क्षेत्र लुखू तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

धोरीमन्ना में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीनी (रेस्पोडेंट संख्या 01) चूनीदेवी द्वारा चाहा गया रास्ता अकेले अपीलांट किशनाराम के खेत में से होकर नहीं है। यह रास्ता दूसरे लगते चार अन्य खेतों की सीमा पर कायम किया हुआ है। इस रास्ते की **अविच्छिन्नता (Continuity)** के लिए कुछ खातेदारों ने अपनी अभिधृति बाबत् स्वीकृति दी है जिससे रास्ते की श्रृंखला कायम रहती है। इस वांछित रास्ते में मात्र **01.02** बीघा भूमि अपीलांट की भी शामिल है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से रास्ता घोषित की है। यदि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडेंट चूनीदेवी का भी रास्ता अवरूद्ध हो जाता है बल्कि इस रास्ते की **अविच्छिन्नता (Continuity)** भी टूट जाएगी और इसका उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका फर्द को आधार मानकर निर्णय दिया है उस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते के लिए महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर निर्धारण करना वांछित है:–

प्रथम रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हो, **द्वितीय** वैकल्पिक रास्ता न हो। एवं रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता एवं सर्वोतम विकल्प रूप में चयनित भूमि को रास्ते हेतु कटान किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है; लेकिन उभयपक्ष की असहमति के कारण यह अपील पेश हुई है। न्यायालय में उभयपक्ष को इस बाबत् समझाईश की गई। दोनों पक्षों की रास्ते के संबंध में आपतियों को भी सुना गया। उनसे इस संबंध में वैकल्पिक प्रस्ताव/सुझाव भी चाहे गए। उभयपक्ष के सुझाव और आपतियां के मद्देनजर **सर्वोतम विकल्प का चयन कर सहमति प्राप्त करने हेतु समझाईश की।** मामला उभयपक्ष द्वारा न्यायालय पर गुणावगुण पर विचार पर छोड़ दिया गया।

लिखित बहस और मौखिक बहस में अपीलांट के वकील ने बताया कि जहां रास्ता दिया गया है वहा अपीलांट के खेत खसरा संख्या 431 में विद्युत लाईन की डी.पी. लगी हुई है, पास ही छपरा बना हुआ है इसलिए रास्ता मौके अनुसार सही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं दिया गया है। रेस्पोडेंट पक्ष को अपीलांट पक्ष द्वारा खसरा संख्या 423 व 431 की उभनिष्ठ सीमा(सेड़े) पर दोनों और बराबर चौड़ाई में दोनों के खेतों में से रास्ता देने के विकल्प पर सहमति हेतु कहा गया। रेस्पोडेंट पक्ष का कथन है कि एक कोने में उनका (किशनाराम रेस्पोडेंट संख्या 05) ढाणी व टांका बीच में आ रहा है उसको छोड़ते हुए जितनी दूरी लगभग 225 फीट तक दोनों खेतों में दोनो तरफ सीमा के समान्तर 10–10 फीट रास्ता दिया जाता है तो उचित है। यह विकल्प अपीलांट के एतराज का काफी हद तक पूर्ति कर देता है और न्यायासंगत भी है। इससे आगे 20 फीट रास्ता अपीलांट के खेत में डी.पी.(18'X13') को छोड़ते हुए दिया जाना उचित प्रतीत होता है और यही सर्वोतम विकल्प है जो दोनो पक्षों के लिए ठीक और वाजिब है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता और खसरा संख्या 419, 423, 431 व 424 के अलावा कोई विकल्प नहीं होने का स्पष्ट निर्धारण हो चुका है। रेस्पोडेंट को अपने खेत खसरा संख्या 440/2 में आवागमन हेतु रास्ता देना भी आवश्यक है और खसरा संख्या 423 व खसरा संख्या 431 की उभयनिष्ठ सीमा पर पूरा रास्ता खसरा संख्या 431 (अपीलांट) के अकेले के खेत में दिया गया है जो समान रूप से दोनों खसरों में जहां तक संभव हो दिया जाना उचित एवं युक्तिसंगत है। इस हेतु परिशिष्ट "अ" रास्ते के सर्वोतम संभव विकल्प के लिए नजरी नक्शा (दिनांक 03.04.2019) बनाया जाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। उक्त दोनों खेतों की उभयनिष्ठ सीमा पर A से B लगभग 225 फीट तक 10–10 फीट का रास्ता दोनों खेतों में तथा इससे आगे किशनाराम (रेस्पोडेंट संख्या 05) की ढाणी को भी यथावत रखते हुए संपूर्ण रास्ता 20 फीट अपीलांट के खेत खसरा संख्या 431 में डी. पी.(18'X13') की जगह को सुरक्षित करते हुए सेढे के समान्तर रेस्पोडेंट(प्रार्थी) के खेत खसरा संख्या 440/2 के कोने तक दिया जाना न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रकरण में गुणावगुण पर पूर्णतया चिंतन मनन करने के पश्चात अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में मौका फर्द इसके संलग्न एवं प्रस्तावित रास्ते का नक्शा में प्रस्तावित रास्ते के aligment (संरेखण) परिशिष्ट "अ" के मुताबिक रास्ता में A से B तक दोनों खेतों में 10–10 फीट बराबर एवं B से C तक खसरा संख्या 431 में 20 फीट तथा तत्पश्चात डी. पी. (18'X13') को छोड़कर उसके सहारे–सहारे खसरा संख्या 431 की सीमा के समान्तर 20 फीट रास्ता खेत खसरा संख्या 440/2 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सीमा तक दिये जाने का आंशिक संशोधन किया जाता है। तहसीलदार धौरीमन्ना मौके पर जाकर उपरोक्तानुसार मार्ग की वास्तविक माप करके निशानदेही करके उभयपक्ष को अवगत करा दे। परिशिष्ट "अ" इस निर्णय का भाग रहेगा।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner